(ग) उनमें से कितनी औषधियों का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी॰ शंकरानन्द): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Nursing Homes in Delhi

7749. SHRI MATANG SINH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of nursing homes are coming up in Delhi;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) the number of nursing homes set up since January, 1992;

(d) whether all such nursing homes have sought the clearance of Government;

(e) if so, what are the details thereof; and

(f) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND) (a) and (b) According to the Government of the NCT of Delhi, exact number of nursing homes in Delhi has not been ascertained. However, on the basis of survey conducted in 1991 there were 458 nursing homes.

(c) to (f) The Government of Delhi have no such information.

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन से संबंधित लम्बित आवेदन

7750. **श्री राम देव भंडारी**: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में राज्य सरकार द्वारा अनुशासित केन्द्रीय सरकार के समक्ष स्वीकृती हेतु स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित लम्बित आवेदनों का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष, 1991, 1992, 1993 और 1994 में अब तक क्रमशः अन्तिम रूप से निष्पादित आवेदनों की स्वीकृति तथा अस्वीकृति की संख्या क्या-क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि किन्हीं विशेष कारणों से आवेदनों के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है जिसकी वजह से स्वतंत्रता सेनानी दलालों तथा भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा ठगी के शिकार होते हैं; और

(घ) क्या सरकार आवेदनों के निष्पादन के लिये कोई समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है जिससे स्वतंत्रता सेनानियों को परेशानी और ठगी से बचाया जा सके?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰एम॰ सईद): (क) और (ख) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने के लिए 31 मार्च, 1994 तक बिहार राज्य से प्राप्त आवेदकों को पहले ही सूचित कर दिया गया है। वर्ष, 1991 से 1994 (अद्यतन) के दौरान जिन व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान की गयी है (विधवाओं, अविवाहित/बेरोजगार आश्रित लड़कियों सहित) उनकी संख्या निम्न प्रकार है:—

वर्ष	मामलों की संख्या, जिनमें पेंशन स्वीकृत की गयी है
1991	185
1992	141
1993	62
1994 (अद्यतन)	36

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान्। पेंशन प्रदान करने के सभी दावों पर, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विचार किया जाता है। और पेंशन प्रदान करने का निर्णय तभी लिया जाता है जब उपयुक्त सत्यापन करने के बाद स्पष्ट रूप से यह सिद्ध हो जाय कि पेंशन प्रदान करने के लिए आवेदक पात्रता की शर्तें पूरी करता है। कुछ एक मामलों में न्यायालय/जेल के दस्तावेजों का सत्यापन करने में विलम्ब होता हैं। कई मामलों में, सरकार के निर्णय से असन्तुष्ट आवेदक अपने दावे रद्द किए जाने के खिलाफ पुनरीक्षा याचिकाएं/अभ्यावेदन भेजतें है। इस प्रकार की पुनरीक्षा याचिकाओं की प्राप्ति और उनका निपटान एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है अतः उनके निपटान के लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित करना कठिन है।